PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Wednesday 24th September 2014, Page: 13
Width: 8.53 cms, Height: 14.73 cms, a4, Ref: pmin.2014-09-24.48.111

कैंसर, एचआईवी, दिल का इलाज होगा महंगा

नई दिल्ली | एजेंसियां

कैंसर, एचआईवी और दिल की बीमारियों से संबंधि रोगों का इलाज महंगा हो सकता है, क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) के अनिवार्य की सूची से बाहर की दवाओं के मूल्य तय करने संबंधी अधिकार को वापस ले लिया है।

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्युटिकल्स विभाग ने एनपीपीए को दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ), 2013, के अंतर्गत जारी मूल्य नियंत्रण संबंधी दिशा-निर्देशों को वापस लेने का निर्देश दिया था। इसके तहत एनपीपीए को गैर अनिवार्य दवाओं का मूल्य नियंत्रित करने का अधिकार मिला था। एनपीपीए ने सोमवार को इस आदेश का अनुपालन किया। हालांकि यह आगे की तारीख से लागू होगा।

एनपीपीए ने रात में जारी बयान में कहा कि वह तत्काल प्रभाव से 29 मई के उस दिशा-निर्देश को वापस ले रहा है जिसमें गैर अनिवार्य दवाओं का मूल्य नियंत्रित किया गया था। इनमें कैंसर, एचआईवी व दिल की बीमारी से संबंधित दवाइयां शामिल हैं। हालांकि, इसमें उसके 10 जुलाई के आदेश का जिक्र नहीं किया गया है, जिसमें 108 गैर अनिवार्य दवाओं का मूल्य नियंत्रित किया गया है।

झटका

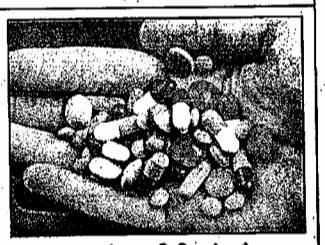

- सरकार ने एनपीपीए के गैर अनिवार्य दवाओं के मूल्य नियंत्रण अधिकार को वापस लिया
- 348 आवश्यक दवाओं की कीमतें नियंत्रित करती है सरकार

एनपीपीए ने बयान में कहा, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मा विभाग से मिले निर्देशों के अनुरूप दवा मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीपीओ) 2013 के परिच्छेद 19 के तहत जारी दिशा-निर्देशों को वापस लिया जाता है। इसके तहत एनपीपीए को असामान्य परिस्थितियों में जनहित में उन दवाओं का भी मूल्य नियंत्रित करने का अधिकार होता है, जो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में नहीं हैं।